प्रेस नोट जनपद संतकबीरनगर दिनांक 12.04.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक शुक्रवार परेड का किया गया निरीक्षण, दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनांक 12.04.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड मे साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में सम्मिलित पुलिस कर्मियों के टर्नआउट को चेक करते हुए सभी अधिकारी / कर्मचारीगणों को ड्यूटी के दौरान उच्च कोटि की वर्दी पहनने व जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया। निरीक्षण के पश्चात कर्मियों को शारीरिक रुप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई व परेड के दौरान अनुशासन व एकरुपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गई। महोदय द्वारा परेड के उपरान्त पुलिस लाइन्स परिसर में मेस, गणना कार्यालय, आमी बैरक आदि का निरीक्षण किया गया तथा पुलिस लाइन की बेहतर साफ-सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा पुलिस लाइन के आदेश कक्ष मे सभी गार्द रजिस्टरों को चेक करते हुए गार्द की सुरक्षा के संबंध मे सभी गार्द कमांडरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों व पुलिस चौकियों पर शुक्रवार की परेड करायी गयी। शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवायी गयी एवं अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाया गया।

प्रेस नोट जनपद संतकबीरनगर दिनांक 12.04.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन संतकबीरनगर स्थित परिवहन शाखा, शस्त्रागार, यातायात कार्यालय का किया गया वार्षिक निरीक्षण, दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनांक 12.04.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन सन्तकबीरनगर में स्थित परिवहन शाखा, शस्त्रागार, यातायात कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उनके अभिलेखों का वार्षिक निरीक्षण किया गया। परिवहन शाखा, शस्त्रागार, यातायात कार्यालय की पत्रावलियों व अभिलेखों का गहनता से निरीक्षण किया गया, साथ ही अभिलेखों के रखरखाव व उनको अद्यतन रखने तथा साफ-सफाई का भी जायज़ा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर***, प्रतिसार निरीक्षक ***श्री रजनीकान्त ओझा*** सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 12.04.2024

आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना बखिरा पुलिस द्वारा अर्धसैनिक बल के साथ किया गया एरिया डोमिनेशन / फ्लैग मार्च

आज दिनांक 12.04.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा चुनाव को भयमुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत थाना बखिरा पुलिस द्वारा अर्धसैनिक बल के साथ थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत सिद्धार्थनगर बॉर्डर पर ग्राम नेतारी कला, धोबहा, नंदौर चौराहा पर फ्लैग मार्च/एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही की गयी। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया व लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील की गई साथ ही चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वाले व शांति व्यवस्था खराब करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गयी।

जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 12.04.2024

दबिश के दौरान 09 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा** वारण्टी नाम पता 1. दीनानाथ पुत्र निवास साकिन भरवटिया थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर 2. इल्तजा पुत्र मुर्तजा निवासी अंसार टोला थाना खलीलाबाद जनपद सन्त कबीर नगर 3. अजय कुमार पुत्र मतेलू निवासी पड़ोखर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सुर्यभान यादव, उ0नि0 श्री पवन कुमार, उ0नि0 श्री अर्जुन कुमार, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 अंजेश गुप्ता, का0 अरविन्द कुमार तिवारी, हे0का0 शैलेन्द्र यादव, का0 अतिश कुमार।

***थाना बखिरा पुलिस* द्वारा** वारण्टी नाम पता 1. श्याम सुन्दर पुत्र रामशब्द साकिन भानपुर माफी थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर 2. विनोद पुत्र जगदीश साकिन भानपुर माफी थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अमित कुमार, हे0का0 कामेश्वर सिंह, का0 चन्दन यादव ।

***थाना धनघटा पुलिस* द्वारा** वारण्टी नाम पता 1. वशारत पुत्र दिलशेर निवासी मैली थाना धनघटा जनपद सन्त कबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रवीन्द्रनाथ शर्मा, का0 ओमबीर यादव ।

***थाना दुधारा पुलिस* द्वारा** वारण्टी नाम पता 1. रामकिशुन पुत्र नीबूलाल निवासी मुड़ाडीहा बेग थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 2. फूल कुमार पुत्र श्यामबिहारी निवासी रुधौली थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, हे0का0 रामविनय यादव, हे0का0 अरविन्द यादव।

***थाना मेहदावल पुलिस* द्वारा** वारण्टी नाम पता 1. विशाल पुत्र कोईल निवासी चनहवा थाना मेहदावल जनपद सन्त कबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री ददन राय, का0 विवेक डांगी।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 16 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्तों गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्तों गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्तों गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्तों गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 86 वाहनों से 1,01,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 12.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 86 वाहनों से 1,01,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद – संतकबीरनगर*　　　　*प्रेस विज्ञप्ति*　　　　*दिनाँक 12.04.2024

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 05 किलो 120 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व क्रय / विक्रय की रोकथाम हेतू चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी धनघटा

श्री अजय सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री अनिल कुमार* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त 1. जयप्रकाश पुत्र स्व0 रामबुझ दास निवासी बसवारीगांव थाना धनघटा जनपद सन्त कबीर नगर व अभियुक्ता 2. गुड्डी पत्नी जयप्रकाश निवासी बसवारीगांव थाना धनघटा जनपद सन्त कबीर नगर को दिनांक 12.04.2024 को बंसवारी ग्राम से 05 किलो 120 ग्राम अवैध गांजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण- 1. जयप्रकाश पुत्र स्व0 रामबुझ दास निवासी बसवारीगांव थाना धनघटा जनपद सन्त कबीर नगर 2. गुड्डी पत्नी जयप्रकाश निवासी बसवारीगांव थाना धनघटा जनपद सन्त कबीर नगर।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0स0 222/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 05 किलो 120 ग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री रवीन्द्र यादव, उ0नि0 श्री चन्द्रप्रकाश सिंह, का0 संतोष यादव, का0 विशाल कुमार, का0 निर्भय कुमार शाह, का0 सौरभ उपाध्याय, म0का0 विजयाशील यादव, म0का0 गुन्जन पाण्डेय, का0 आनन्द प्रकाश, का0 ओमबीर यादव।

जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 12.04.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 03 सीसीटीवी कैमरें

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे **आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में आज दिनांक 12.04.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 03 सीसीटीवी कैमरा लगवाया गया हैं। थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 03 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

जनपद-संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 12.04.2024

आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना महुली पुलिस द्वारा अर्धसैनिक बल के साथ किया गया एरिया डोमिनेशन / फ्लैग मार्च

आज दिनांक 12.04.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री शशि शेखर सिंह** के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री अजय सिंह** के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा चुनाव को भयमुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक थाना महुली **श्री सतीश कुमार सिंह** के नेतृत्व में थाना महुली पुलिस द्वारा अर्धसैनिक बल के साथ थाना महुली क्षेत्रान्तर्गत नाथनगर व मुखलिसपुर बाजार में फ्लैग मार्च/एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही की गयी। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया व लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील की गई साथ ही चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वाले व शांति व्यवस्था खराब करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गयी।

जनपद – संतकबीरनगर   *प्रेस विज्ञप्ति*   *दिनाँक 12.04.2024*

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 43.41 ग्राम नशीला पाउडर (स्मैक) के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में नशीला पाउडर (स्मैक) की तस्करी व क्रय / विक्रय की रोकथाम हेतू चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** * के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री रामकृपाल सिंह*** * के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त ईश्वरचन्द्र मिश्रा उर्फ राज राय पुत्र चतुर्भज साकिन जूनियर हाईस्कूल डायट के पास पश्चिम बंजरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्त कबीर नगर को दिनांक 12.04.2024 को 43.41 ग्राम नशीला पाउडर (स्मैक) के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण- ईश्वर चन्द्र मिश्रा उर्फ राज राय पुत्र चतुर्भज साकिन जूनियर हाईस्कूल डायट के पास पश्चिम बंजरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्त कबीर नगर।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0स0 305/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 43.41 ग्राम नशीला पाउडर(स्मैक)।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल, हे0का0 सम्पूर्णानन्द यादव, का0 अनिल प्रसाद, का0 रंजन कुमार।

जनपद – संतकबीरनगर *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 12.04.2024*

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले में 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 0192/2024 धारा 147/148/323/504/506/427/307 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में 01 नफर वांछित अभियुक्त नाम पता सद्दाम पुत्र मशहूर आलम निवासी टेमा रहमत थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को डीघा बाईपास के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- विदित हो कि वादी द्वारा अभियुक्त उपरोक्त व अल्ताफ उर्फ मोनू पुत्र अलीमुद्दीन तथा मुमताज अहमद पुत्र मकबूल अहमद निवासीगण टेमा रहमत थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा एकराय होकर लोहे के राड डण्डा लेकर जान से मारने की नीयत से हमला करने तथा तोड़फोड़ करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया था। जिसपर थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा अभियोग पंजीकृत पंजीकृत किया गया था। पूर्व में दिनांक 14.03.2024 को अभियुक्तगण अल्ताफ उर्फ मोनू पुत्र अलीमुद्दीन तथा मुमताज अहमद पुत्र मकबूल अहमद निवासीगण टेमा रहमत थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया है तथा कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राकेश कुमार, हे0का0 अनिल यादव, का0 अनूप यादव।